न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 04/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री खान मोहम्मद खाँ प्रर्वतन निरीक्षक

..................प्रार्थी

बनाम

1—श्री ओमप्रकाश सांखला पुत्र श्री विजय सिंह सांखला, निवासी कुन्दन नगर, नगर निगम, अजमेर जिला अजमेर

2—श्री सुभाष सिंह रावत पुत्र श्री मेवा सिंह रावत निवासी ग्राम बडलिया तहसील अजमेर पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर

3—मैसर्स हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेन्सी नाका मदार अजमेर पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित ;.—

1. श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी	पेराकार सरकार
2. श्री ए.के. मेहरा	अप्रार्थी सं. 1 अभिभाषक
3. श्री संजय गुर्जर	अप्रार्थी सं. 3 अभिभाषक
4. श्री टीकम चन्द गुर्जर	अप्रार्थी सं. 2 अभिभाषक

आदेश

दिनांक 24.07.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के नेतृत्व में हमराह श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद खॉ, प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रर्वतन निरीक्षक, एवं श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा माली मौहल्ला सिटी बस स्टेण्ड, कुन्दन नगर अजमेर में श्री ओमप्रकाश सांखला पुत्र श्री विजय सिंह सांखला के मकान पर पहुँचकर जॉच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी। वक्त जॉच मौके पर पाया गया कि श्री ओमप्रकाश सांखला के मकान से सटाकर एक छोटा कमरा है जिसमें गैस सिलेण्डर रखे है एवं कमरे के सामने खुला चौक है जिसमें गैस सिलेण्डर पड़े है एवं श्री ओमप्रकाश द्वारा तीन घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो को उल्टा रखकर तीन अलग अलग इलेक्ट्रिक रिफलिंग मशीनों से जोडकर तीन व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डरो में गैस भरी जा रही थी। मौके पर श्री सुभाष पुत्र श्री मेवा सिंह रावत निवासी ग्राम बडलिया तहसील अजमेर ने बताया कि वह हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेन्सी मदार, अजमेर का गैस डिलीवरी बॉय है तथा श्री ओमप्रकाश सांखला को घरेलू एलपीजी सिलेण्डर (14.20 किग्रा) को 1100 रूपये प्रति सिलेण्डर में बिकी करता है तथा ओमप्रकाश द्वारा घरेलू एलपीजी का व्यावसायिक एलपीजी क्षमता 19 किग्रा में भरकर प्रति सिलेण्डर 1600 रूपये में ग्राहको का विक्रय किया जाना बताया गया। वक्त जॉच 3 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो से 3 व्यावसायिक एलपीजी सिलेण्डरो में तीन इलेक्ट्रिक मशीने इलेक्ट्रिक बोर्ड से जोड़कर संचालित कर गैस रिफलिंग का कार्य किया

जिला कलक्टर
अजमेर

जा रहा था। रिफलिंग स्थान पर नॉन डोमेस्टिक श्रेणी के 16 किग्रा क्षमता के 14 सिलेण्डर, 5 किग्रा क्षमता के 6 सिलेण्डर तथा डोमेस्टिक श्रेणी के 14.20 किग्रा क्षमता के 28 सिलेण्डर अर्थात कुल 48 सिलेण्डर फर्श पर गैस रिफलिंग के कार्य से रखे हुए पाए गए। इस स्थल से सटाकर बने कमरे में नॉन डोमेस्टिक श्रेणी के 14 सिलेण्डर रखे होना पाया गया। जांच के दौरान पाया कि श्री ओमप्रकाश द्वारा व्यावसायिक श्रेणी के 9 एलपीजी सिलेण्डरो में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो से रिफलिंग से 156.10 किलोग्राम गैस भरी जा चुकी है एवं 21 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो में भी 263.50 किलोग्राम गैस भी रिफलिंग से व्यावसायिक सिलेण्डरो में भरी जाने की तैयारी थी। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के क्लॉज 4 (1)(a)(b)(c)(d)(2)6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 68 सिलेण्डरो मय 419 किलो 600 ग्राम एलपीजी, तीन इलेक्ट्रिक रिफीलिंग मोटर (मशीन) मय इलेक्ट्रिक तार, एक इलेक्ट्रिक प्लटफार्म कांटा, दो पीतल की बांसुरी, रेगूलेटर, प्लास्टिक कैप व सील प्लास्टिक एक अग्निशमन यंत्र को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जरिये अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 जरिये अधिवक्ता दिनांक 07.02.2023 को उपस्थित आये। जिन्हे जवाब का पर्याप्त अवसर दिया गया। दिनांक 08.05.2024 व 22.05.2024 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 12.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब बन्द किया गया। उभयपक्षों को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 22.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के नेतृत्व में हमराह श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद खॉ, प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, एवं श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा माली मौहल्ला सिटी बस स्टेण्ड, कुन्दन नगर अजमेर में श्री ओमप्रकाश सांखला पुत्र श्री विजय सिंह सांखला के मकान पर पहुॅचकर जॉच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी। वक्त जॉच मौके पर पाया गया कि श्री ओमप्रकाश सांखला के मकान से सटाकर एक छोटा कमरा है जिसमें गैस सिलेण्डर रखे है एवं कमरे के सामने खुला चौक है जिसमें गैस सिलेण्डर पडे है एवं श्री ओमप्रकाश द्वारा तीन घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो को उल्टा रखकर तीन अलग अलग इलेक्ट्रिक रिफलिंग मशीनों से जोडकर तीन व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डरो में गैस भरी जा रही थी। मौके पर श्री सुभाष पुत्र श्री मेवा सिंह रावत निवासी ग्राम बडलिया तहसील अजमेर ने बताया कि वह हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेन्सी मदार, अजमेर का गैस डिलीवर बॉय है तथा श्री ओमप्रकाश सांखला को घरेलू एलपीजी सिलेण्डर (14.20 किग्रा) को 1100 रूपये प्रति सिलेण्डर में बिकी करता है तथा ओमप्रकाश द्वारा घरेलू एलपीजी का व्यावसायिक एलपीजी क्षमता 19 किग्रा में भरकर प्रति सिलेण्डर 1600 रूपये में ग्राहको का विक्रय किया जाना बताया गया। वक्त जॉच 3 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो से 3 व्यावसायिक एलपीजी सिलेण्डरो में तीन इलेक्ट्रिक मशीने इलेक्ट्रिक बोर्ड से जोडकर संचालित कर गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। रिफलिंग स्थान पर नॉन डोमेस्टिक श्रेणी के 16 किग्रा क्षमता के 14 सिलेण्डर, 5 किग्रा क्षमता के 6 सिलेण्डर तथा डोमेस्टिक श्रेणी के 14.20 किग्रा क्षमता के 28 सिलेण्डर अर्थात कुल 48 सिलेण्डर फर्श

जिला कलेक्टर
अजमेर

पर गैस रिफलिंग के कार्य से रखे हुए पाए गए। इस स्थल से सटाकर बने कमरे में नॉन डोमेस्टिक श्रेणी के 14 सिलेण्डर रखे होना पाया गया। जांच के दौरान पाया कि श्री ओमप्रकाश द्वारा व्यावसायिक श्रेणी के 9 एलपीजी सिलेण्डरो में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो से रिफलिंग से 156.10 किलोग्राम गैस भरी जा चुकी है एवं 21 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो में भी 263.50 किलोग्राम गैस भी रिफलिंग से व्यावसायिक सिलेण्डरो में भरी जाने की तैयारी थी। वक्त जांच श्री सुभाष द्वारा हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेन्सी अजमेर से घरेलू एलपीजी के 8 सिलेण्डर एवं 8 उपभोक्ताओ के बिल वाउचर प्राप्त कर उपभोक्ताओ को सप्लाई हेतु निकालना दर्शाकर उनको सप्लाई नहीं कर कालाबाजारी से श्री ओमप्रकाश को अधिक दर पर बिक्री करते पाया गया। इस प्रकार व्यवसायी ओमप्रकाश सांखला द्वारा सघन आबादी के रिहायसी क्षेत्र में स्थित स्वयं के घर पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध रूप से भण्डारण कर घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो से व्यावसायिक एलपीजी सिलेण्डरो में अवैध रूप से रिफलिंग कर विक्रय किया जा रहा था जो कि मानव जीवन के लिए अत्यं घातक एवं दुर्घटना की प्रबल संभावना कारक होना पाया। अप्रार्थी द्वारा एलपीजी सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(ख), 4 (1)(ख) एवं खण्ड 6 (1)(क)(ग) की अवहेलना किये जाने के कारण घरेलू एल.पी.जी. के 68 सिलेण्डरो मय 419. 6 किलोग्राम एलपीजी, तीन इलेक्ट्रिक रिफीलिंग मोटर (मशीन) मय इलेक्ट्रिक तार, एक इलेक्ट्रिक प्लेटफार्म कांटा, दो पीतल की बांसूरी, 3 रेगूलेटर, 7 प्लास्टिक कैप व सील प्लास्टिक एवं एक अग्निशमन यत्र को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर नजदीकी गैस एजेन्सी चन्द्रायन, अजमेर के कार्मिक श्री अय्यूब खान पुत्र श्री कयूम खान को बुलवा कर सत्यापित व मुद्राकिंत कांटे से वनज करवाकर आगामी आदेशो तक सुपुर्दगी में दिये गये। जब्त सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस. आर. कमांक	सील/अनसील्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टेसर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी. कि.ग्रा में	शुद्ध गैस का भार
1	481865 E	Indane	8.2	8.5	0.3
2	088468 U	HP	8.5	8.5	0
3	488932 E	Indane	8.3	8.3	0
4	101424 U	HP	8.5	8.5	0
5	031658 P	Indane	8.2	8.8	0.6
6	2324	BP	6.4	7.4	1.0
7	778218	Indane (Sealed)	15.3	29.5	14.2
8	184979	Indane (Sealed)	15.7	29.9	14.2
9	176279	Indane (Sealed)	15.2	29.4	14.2
10	305307	Indane (Sealed)	15.9	30.1	14.2

जिला कलक्टर
अजमेर

11	334194	Indane (Sealed)	16.3	30.5	14.2
12	819622	Indane (Sealed)	15.5	29.7	14.2
13	101616	BPL (Sealed)	15.7	29.7	14.0
14	287862	BPL (Sealed)	15.8	29.9	14.1
15	282929	BPL (Sealed)	15.3	29.5	14.2
16	211617	BPL (Sealed)	15.4	29.6	14.2
17	414112	BPL (Sealed)	15.5	29.7	14.2
18	100357	BPL (Sealed)	15.9	30.1	14.2
19	486945	BPL (Sealed)	15.2	29.4	14.2
20	36684	BPL (Sealed)	15.7	29.9	14.2
21	अपठित	BPCL	16.3	30.4	14.1
22	62085	BPCL	15.7	29.8	14.1
23	966000	BPCL	15.5	29.7	14.2
24	238057	IOCL	15.4	15.4	0
25	817029	BPCL	15.9	30	14.1
26	364389	HPCL	16.1	16.1	0
27	072279	BPCL	15.6	15.6	0
28	22734	BPCL	15.8	15.8	0
29	83914	BPCL	15.4	15.	0
30	17800	BPCL	15.4	15.4	0
31	363250	BPCL	15.9	15.9	0
32	923329	BPCL	15.6	15.6	0
33	392343	BPCL	15.7	15.7	0
34	802895	BPCL	15.9	15.9	0
35	017742	BPCL	19.0	19.0	0
36	008600	BPCL	19.1	19.1	0
37	08226	BPCL	19.2	19.2	0
38	678802	BPCL	19.3	19.3	0
39	178185	BPCL	18.9	18.9	0
40	003104	BPCL	19.2	19.2	0
41	436670	BPCL	19.2	19.2	0

जिला कलक्टर
अजमेर

42	000238	BPCL	19.0	19.0	0
43	अपठित	BPCL	19.0	19.0	0
44	014632	BPCL	18.6	18.6	0
45	011593	BPCL	19.4	19.4	0
46	अपठित	BPCL	19.1	19.1	0
47	009349	BPCL	18.1	18.1	0
48	000641	BPCL	19.3	19.3	0
49	116825	BPCL	19.4	19.4	0
50	018426	BPCL	19.2	19.2	0
51	0841413	BPCL	18.9	18.9	0
52	002163	BPCL	19.2	19.2	0
53	23748	BPCL	19.2	19.2	0
54	033890	BPCL	18.7	18.7	0
55	087686	IoCL	19.5	19.5	0
56	00268	BPCL	19.0	19.0	0
57	13152	BPL (Sealed)	19.2	38.2	19.0
58	019472	BPL (Sealed)	19.4	38.2	18.9
59	30335	BPL (Sealed)	18.7	37.7	19.0
60	062530	BPL (Sealed)	19.3	38.3	19.0
61	005028	BPL (Sealed)	19.0	37.9	18.9
62	002838	BPL (Sealed)	18.0	36.9	18.9
63	025376	BPCL (उल्टा रखा)	19.4	29.3	9.9
64	437835	BPCL	15.7	20.2	4.5
65	016672	BPCL	19.0	35.7	16.0
66	286534	BPCL (उल्टा रखा)	15.5	17.5	2.0
67	010959	BPCL	19.3	33.9	14.6
68	315850	BPCL (उल्टा रखा)	15.8	17.8	2.0
	TOTOL		1124.5	1544.8	419.6

इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के क्लॉज 4 (1)(a)(b)(c)(d)(2)6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः अवैध

जिला कलक्टर
अजमेर

रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 68 सिलेण्डरो मय 419 किलो 600 ग्राम एलपीजी, तीन इेक्ट्रिक रिफीलिंग मोटर (मशीन) मय इलेक्ट्रिक तार, एक इलेक्ट्रिक प्लेटफार्म कांटा, दो पीतल की बांसुरी, रेगूलेटर, प्लास्टिक कैप व सील प्लास्टिक एक अग्निशमन यंत्र को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर श्री ओमप्रकाश सांखला नामक व्यक्ति से उत्तरदाता का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है एवं कथित जगह से बरामद किये गये सिलेण्डर व एलपीजी एवं अन्य सामग्री से भी उत्तरदाता का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। उत्तरदाता कुन्दन नगर ऐरिये में गैस ब्वाय के रूप में कार्यरत नहीं है। साथ ही ओमप्रकाश सांखला से बरामद किये गये गैस सिलेण्डर से भी उत्तरदाता का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। कथित स्थल से बरामद किसी भी सामग्री व सिलेण्डरों से उत्तरदाता का किसी प्रकार से सबंध नहीं है। उत्तरदाता गैस ब्वाय के रूप में कार्यरत था। परिवाद में उत्तरदाता के विरूद्व ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि कथित बरामदशुदा सिलेण्डर सामग्री आदि से उत्तरदाता का किसी प्रकार का कोई सबंध सरोकार रहा हो। अतः निवेदन है कि उत्तरदाता के विरूद्व कथित परिवाद खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर ओमप्रकाश सांखला नामक व्यक्ति से भी उत्तरदाता का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है एवं कथित जगह से बरामद किये गये सिलेण्डर व एलपीजी एवं अन्य सामग्री से भी उत्तरदाता का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। सुभाष नामक व्यक्ति का अंकन किया गया है वह उत्तरदाता के यहां कुन्दन नगर ऐरिये में गैस ब्वाय के रूप में कार्यरत नहीं है। साथ ही ओमप्रकाश सांखला से बरामद किये गये गैस सिलेण्डर से भी उत्तरदाता का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। कथित ओमप्रकाश सांखला नाम व्यक्ति से उत्तरदाता का किसी प्रकार का कोई सबंध सरोकार नहीं है। कथित स्थत पर सुभाष नामक व्यक्ति गैस ब्वाय के रूप में कार्यरत नहीं था अपितु कथित स्थल पर सुमेर नाथ नामक व्यक्ति गेस ब्वाय के रूप में कार्यरत था। इस प्रकार कथित परिवाद में उत्तरदाता के विरूद्ध ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि कथित बरामदशुदा सिलेण्डर, सामग्री आदि से उत्तरदाता का किसी प्रकार का कोई सबंध सरोकार रहा हो। उत्तरदाता के विरूद्ध कथित परिवाद खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध फर्द दस्तावेजात, फर्द मौका एवं जप्ती, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब व दिनांक 22.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के नेतृत्व में हमराह श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद खॉ, प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, एवं श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा माली मौहल्ला सिटी बस स्टेण्ड, कुन्दन नगर अजमेर में श्री ओमप्रकाश सांखला पुत्र श्री विजय सिंह सांखला के मकान पर पहुँचकर जॉच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी। वक्त जॉच मौके पर पाया गया कि श्री ओमप्रकाश सांखला के मकान से सटाकर एक छोटा कमरा है जिसमें गैस सिलेण्डर रखे है एवं कमरे के सामने खुला चौक है जिसमें गैस सिलेण्डर पडे है एवं श्री ओमप्रकाश द्वारा तीन घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो को उल्टा रखकर तीन अलग अलग इलेक्ट्रिक रिफलिंग मशीनों से जोडकर तीन व्यावसायिक श्रेणी के सिलेण्डरो में गैस भरी जा रही थी। मौके पर श्री सुभाष पुत्र श्री मेवा सिंह रावत निवासी ग्राम बड़लिया तहसील अजमेर ने बताया कि वह हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेन्सी मदार, अजमेर का गैस डिलीवर

जिला कलक्टर
अजमेर

बॉय है तथा श्री ओमप्रकाश सांखला को घरेलू एलपीजी सिलेण्डर (14.20 किग्रा) को 1100 रूपये प्रति सिलेण्डर में बिक्री करता है तथा ओमप्रकाश द्वारा घरेलू एलपीजी का व्यावसायिक एलपीजी क्षमता 19 किग्रा में भरकर प्रति सिलेण्डर 1600 रूपये में ग्राहको का विक्रय किया जाना बताया गया। वक्त जॉच 3 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो से 3 व्यावसायिक एलपीजी सिलेण्डरो में तीन इलेक्ट्रिक मशीने इलेक्ट्रिक बोर्ड से जोडकर संचालित कर गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। रिफलिंग स्थान पर नॉन डोमेस्टिक श्रेणी के 16 किग्रा क्षमता के 14 सिलेण्डर, 5 किग्रा क्षमता के 6 सिलेण्डर तथा डोमेस्टिक श्रेणी के 14.20 किग्रा क्षमता के 28 सिलेण्डर अर्थात कुल 48 सिलेण्डर फर्श पर गैस रिफलिंग के कार्य से रखे हुए पाए गए। इस स्थल से सटाकर बने कमरे में नॉन डोमेस्टिक श्रेणी के 14 सिलेण्डर रखे होना पाया गया। जांच के दौरान पाया कि श्री ओमप्रकाश द्वारा व्यावसायिक श्रेणी के 9 एलपीजी सिलेण्डरो में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो से रिफलिंग से 156.10 किलोग्राम गैस भरी जा चुकी है एवं 21 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो में भी 263.50 किलोग्राम गैस भी रिफलिंग से व्यावसायिक सिलेण्डरो में भरी जाने की तैयारी थी। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के क्लॉज 4 (1)(a)(b)(c)(d)(2)6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है।

अप्रार्थी 2 व 3 द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जो प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हो। अप्रार्थी संख्या 01 जरिये अधिवक्ता दिनांक 07.02.2023 को उपस्थित आये। जिन्हे जवाब का पर्याप्त अवसर दिया गया व दिनांक 08.05.2024 व 22.5.2024 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 12.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब बन्द किया गया।

इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी आदेश 2000 के क्लॉज 4 (1)(a)(b)(c)(d)(2)6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 68 सिलेण्डरो मय 419 किलो 600 ग्राम एलपीजी, तीन इलेक्ट्रिक रिफीलिंग मोटर (मशीन) मय इलेक्ट्रिक तार, एक इलेक्ट्रिक प्लटफार्म कांटा, दो पीतल की बांसुरी, रेगूलेटर, प्लास्टिक कैप व सील प्लास्टिक एक अग्निशमन यंत्र को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर